

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भारतपुर

पीठासीन अधिकारी:- श्री परशुराम धानका आर.ए.एस.

अपील संख्या:- 27/2023 (GCMS No. 2023/28) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. नत्थी पुत्र नहनी जाति जोगी निवासी ढिढोरा तहसील सूरौठ जिला करौली(राज.)

.....अपीलांट

बनाम

1. लैण्ड होल्डर तहसीलदार सूरौठ तहसील सूरौठ जिला करौली (राज.)

.....रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरुद्ध आदेश न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली दिनांक 25.01.2023 मुकदमा नं. 23/2022 उनवानी नत्थी बनाम तहसीलदार सूरौठ एवं न्यायालय तहसीलदार सूरौठ दिनांक 17.10.2022 प्र.सं. 192/2022 उनवान सरकार बनाम नत्थी।



उपस्थिति:-

1. अपीलांट की ओर से वकील श्री प्रमोद कुमार उपमन
2. रेस्पोंडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 27.10.2023

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली के आदेश दिनांक 25.01.2023 एवं तहसीलदार सूरौठ के आदेश दिनांक 17.10.2022 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट के विरुद्ध आराजी खसरा नम्बर 2702/2 रकवा 2.25 हैक्टे. में 160 वर्गफीट भूमि किस्म चरनौट स्थित वांके ग्राम ढिढोरा तहसील सूरौठ पर पाटोरपोश एवं बोरिंग निर्माण कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा की जाने पर तहसीलदार सूरौठ ने अपीलांट के विरुद्ध निर्णय पारित कर अपीलांट

अति. संभागीय आयुक्त  
भारतपुर

को अतिक्रमी घोषित किया जाकर मौके से बेदखल करने के आदेश दिये तथा आर्थिक दण्ड लगान का 50 गुना के बराबर 11 रूपये वसूली एवं रकवा पर निर्मित कच्चे/पक्के निर्माण को ध्वस्त कर भूमि को कब्जा राज लेने का आदेश पारित किया, जिसके विरुद्ध अपीलांत द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली को अपील पेश की। अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली द्वारा अपीलांत की अपील दिनांक 25.01.2023 को खारिज कर दी गई। जिनके विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील अपीलान्त दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोजेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोजेन्ट की ओर से पैरवी हेतु राजकीय पैरोकार हाजिर अदालत आये।

3. उभयपक्ष को अपील पर सुना गया।

4. दौराने बहस विद्वान वकील अपीलांत द्वारा अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 2702/2 रकवा 2.25 हैक्टे. में 160 वर्गफीट भूमि किस्म चरनौट स्थित वांके ग्राम ढिंढोरा तहसील सूरौठ पर पाटेरपोश, एवं बोरिंग निर्माण कर पक्का अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा की जाने

पर तहसीलदार सूरौठ ने अपीलान्त के विरुद्ध निर्णय पारित कर अपीलांत को

अतिक्रमी घोषित किया जाकर मौके से बेदखल करने के आदेश दिये तथा आर्थिक दण्ड लगान का 50 गुना के बराबर 11 रूपये वसूली एवं रकवा पर निर्मित कच्चे/पक्के निर्माण को ध्वस्त कर भूमि को कब्जा राज लेने का आदेश पारित

किया। जिसके विरुद्ध अपीलान्त द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली को अपील पेश की। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली द्वारा भी

अपीलांत की अपील दिनांक 25.01.2023 को खारिज कर दी गई और तहसीलदार सूरौठ के आदेश की अक्षरशः पालना के आदेश दिये गये। अपीलांत द्वारा कथन भी

किया कि खसरा नम्बर 2702/2 रकवा 2.25 विस्वा पर कोई अतिक्रमण अपीलांत द्वारा नहीं किया गया है बल्कि स्वयं की खातेदारी में कब्जा किया गया है।

अपीलांत की आराजी व ख.नं. 2702/2 की पैमाईश स्वतंत्र गवाहों के समक्ष करानी चाहिए थी परन्तु अदालत द्वारा हल्का पटवारी द्वारा एकपक्षीय रूप से कराई गई।

अदालत तहत ने हल्का पटवारी से जिरह हेतु अवसर नहीं दिया। अपीलांत की विधिवत सुनवाई किये बिना व बिना साक्ष्य लिये निर्णय पारित किया गया है।

अपीलांत का पक्का कब्जा है जिसे लगभग 30 वर्ष हो चुके हैं इतने पुराने कब्जे



40  
अति. सभागीय आयुक्त  
भरतपुर

को हटाने का कोई विधिक कानून नहीं है। विवादित खसरा नम्बर में से होकर रास्ता/सडक भी निकली है जो कि रकवा में से कम होना है परन्तु सडक के रकवा को भी पैमाईश में शामिल किया गया है। अपीलाधीन निर्णय के आधार पर दिनांक 13.02.2023 को रेस्पोजेन्ट ने अपीलांट को धमकी दी है कि अपीलांट के पक्के निर्माण को ध्वस्त करेगा और बेदखल करेगा तथा सामान की नीलामी करेगा। अगर रेस्पोजेन्ट अपनी इस धमकी में सफल हो गया तो अपीलांट को एक असीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति नगद से अपीलांट को करा पाना संभव नहीं होगा। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.01.2023 अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली एवं आदेश दिनांक 17.10.2022 तहसीलदार सूरौठ निरस्त फरमाये जावें एवं अपीलांट के विरुद्ध की गई कार्यवाही धारा 91 एल.आर. एक्ट समाप्त की जावे।



4. राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा बाद परीक्षण पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुये विधिवत रूप से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में लगभग 30 वर्ष पुराना अपना कब्जा स्वीकार किया है तथा अधीनस्थ न्यायालय में भी कब्जा साबित हुआ है। इसके अलावा कोई भी अतिक्रमी पुराने कब्जे के आधार पर किसी प्रकार की राहत पाने का हकदार नहीं है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालयों के ओदशों में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं लगती है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय बहाल रखे जावे।

5. बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय तहसीलदार सूरौठ द्वारा अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 2702/2 रकवा 2.25 हैक्टे. चारागाह भूमि वांके ग्राम ढिंडोरा पर संवत् 2079 में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर पाटोरपोश एवं बोरिंग कर कब्जा कर लिये जाने पर विवादित आराजी से बेदखली, शास्ती की सजा से दण्डित किया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत जारी नोटिस की विधिवत तामील हुई है। अतिक्रमण राजस्व रिकार्ड के मुताबिक चारागाह भूमि पर अपीलान्ट द्वारा किया गया है। चूंकि विवादित भूमि चारागाह है और आर. टी.एक्ट की धारा 16 के तहत ऐसी भूमि पर किसी भी अतिक्रमी को कोई खातेदारी या अन्य अधिकार प्रदत्त नहीं हो सकते हैं। कब्जा मुखालफाना के आधार पर भी अपीलांट कोई राहत पाने का अधिकारी नहीं है। इस प्रकार विद्वान अभिभाषक

4/11  
अति. सभागीय आरुपण  
भरतपुर

अपीलांट द्वारा दिये गये तर्क सारहीन एवं निराधार है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन आदेशों में न्यायालय के मत में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है। हमारी राय में अपीलाधीन आदेशों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

6. फलस्वरूप अपील अपीलान्त खारिज की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरौठ का आदेश दिनांक 17.10.2022 एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली का आदेश दिनांक 25.01.2023 यथावत रखे जाते हैं। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।
7. आज दिनांक 27.10.2023 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(परशुराम धानका)  
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त  
भरतपुर